संख्याः 17 /2024 /809 /सत्रह-म-2024 -17-1002 (099) /55/2019

प्रेषक,

सुनील कुमार वर्मा,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक
मत्स्य विभाग
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग

लखनऊः दिनांक 24 मई, 2024

विषयः अनुदान संख्या-17, लेखाशीर्षक 2405- मछली पालन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या– 15/2024 /558/सत्रह-म-2024-17-1002(099)/55/2019 दिनांक 30 अप्रैल, 2024 एवं पत्र संख्या-16/2024/688/सत्रह-म-2024-17-1002 (099)/55/2019 दिनांक 02 मई, 2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। शासन के पत्र दिनांक 02 मई, 2024 द्वारा आदेश दिनांक 30 अप्रैल, 2024 का क्रियान्वयन अग्रिम आदेशों तक स्थगित किया गया है।

2- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 के दिशा-निर्देशानुसार, मतदेय धनराशि रू0 13938.38 लाख एवं भारित मद में रू0 9.50 लाख अर्थात कुल धनराशि रू0 13947.88 लाख (रू0 एक अरब उनतालीस करोड सैंतालीस लाख अट्ठासी हजार मात्र) को श्री राज्यपाल प्रस्तर-2 में उल्लिखित विवरण/ मदों के अनुसार निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

उप शीर्षक/लघुशीर्षक/मद	बजट प्राविधान 2024-25	जारी की जाने वाली वित्तीय स्वीकृति हेतु धनराशि
1	2	3
राजस्व लेखा 2405- मछली पालन		
001- निदेशन तथा प्रशासन 03- अधिष्ठान		

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

01- वेतन	1263.94	1263.94
03- मंहगाई भता	695.17	695.17
04- यात्रा व्यय	8.00	8.00
05- स्थानान्तरण यात्रा व्यय	5.00	5.00
06- अन्य भत्ते	5.00	5.00
08- कार्यालय व्यय	40.00	40.00
09- विद्युत देय	35.00	35.00
10- जलकर/जल प्रभार	10.00	10.00
11- लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	10.00	10.00
12- कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	2.00	2.00
13- टेलीफोन पर व्यय	6.00	6.00
15- गाड़ियो का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	30.00	30.00
17- किराया , उपशुल्क और करस्वामित्व	16.00	16.00
19- विज्ञापन , बिक्री और विख्यापन व्यय	1.00	1.00
29- अनुरक्षण	25.00	25.00
42- अन्य व्यय मतदेय	10.00	10.00
भारित	**5.00**	**5.00**
44- प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	2.00	2.00
45- अवकाश यात्रा व्यय	0.50	0.50
46- कम्प्यूटर हार्डवेयर/ साफ्टवेयर का क्रय	10.00	10.00
47- कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	10.00	10.00
49- चिकित्सा व्यय	30.00	30.00
51- वर्दी व्यय	0.50	0.50
52- पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	0.01	0.01

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

I/568459/2024

55- मकान किराया भत्ता	70.00	70.00
58- आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	150.00	150.00
योग- 001-03 मतदेय **भारित**	**2435.12** **5.00**	**2435.12** **5.00**
1 09- विस्तार तथा प्रशिक्षण **03- मत्स्य पालन शिक्षा एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम की योजना**		
44- प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	2.40	2.40
योग- 109	**2.40**	**2.40**
190- सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों को सहायता **03- मत्स्य पालक विकास अभिकरण को सहायता**		
20- सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	250.00	62.50
31- सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)	580.50	580.50
53- पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राज्य सहायता)	40.42	40.42
योग- 190	**870.92**	**683.42**
800- अन्य व्यय **03- अनुसंधान- सामान्य**		
01- वेतन	6278.51	6278.51
02- मजदूरी	3.00	3.00
03- मंहगाई भत्ता	3453.18	3453.18
04- यात्रा व्यय	25.00	25.00
05- स्थानान्तरण यात्रा व्यय	10.00	10.00
06- अन्य भत्ते	10.00	10.00
07- मानदेय	4.00	4.00
08- कार्यालय व्यय	30.00	30.00
09- विद्युत देय	60.00	60.00

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

I/568459/2024

10- जलकर/जल प्रभार	2.00	2.00
11- लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	10.00	10.00
12- कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	3.00	3.00
13- टेलीफोन पर व्यय	3.00	3.00
15- गाड़ियो का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	20.00	20.00
16- व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	20.00	20.00
17- किराया , उपशुल्क और कर स्वामित्व	22.00	22.00
18- प्रकाशन	2.00	2.00
19- विज्ञापन , बिक्री और विख्यापन व्यय	2.00	2.00
29- अनुरक्षण	10.00	10.00
42- अन्य व्यय मतदेय **भारित**	25.00 **4.50**	25.00 **4.50**
44- प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	2.00	2.00
45- अवकाश यात्रा व्यय	2.00	2.00
46- कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	15.00	15.00
47- कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	20.00	20.00
49- चिकित्सा व्यय	40.00	40.00
51- वर्दी व्यय	1.50	1.50
52- पुनरीक्षित वेतन का अवशेष(राजकीय)	1.00	1.00
55- मकान किराया भत्ता	350.00	350.00
58- आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	10.00	10.00
योग 800-03- मतदेय **भारित**	10434.19 4.50	10434.19 4.50

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेव साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

I/568459/2024

800- अन्य व्यय **04- प्रादेशिक मत्स्य पालक विकास अभिकरण की स्थापना**		
01- वेतन	149.70	149.70
03- मंहगाई भत्ता	82.34	82.34
04- यात्रा व्यय	5.00	5.00
05- स्थानान्तरण यात्रा व्यय	3.00	3.00
06- अन्य भत्ते	1.00	1.00
08- कार्यालय व्यय	3.00	3.00
09- विद्युत देय	6.00	6.00
11- लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	3.00	3.00
12- कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	2.00	2.00
13- टेलीफोन पर व्यय	2.00	2.00
15- गाड़ियो का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की क्रय	5.00	5.00
17- किराया/उपशुल्क और कर स्वामित्व	5.00	5.00
45- अवकाश यात्रा व्यय	1.00	1.00
47- कम्प्यूटर अनुरक्षण/ तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	4.00	4.00
49- चिकित्सा व्यय	10.00	10.00
51- वर्दी व्यय	0.50	0.50
52- पुनरीक्षित वेतन का अवशेष(राजकीय)	0.01	0.01
55- मकान किराया भत्ता	32.00	32.00
58- आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	5.00	5.00
योग- 800-04	**319.55**	319.55
800- अन्य व्यय **05- राज्य स्तरीय एवं क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन**		

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

I/568459/2024

02- मजदूरी	2.00	2.00
04- यात्रा व्यय	1.00	1.00
08- कार्यालय व्यय	10.00	10.00
09- विद्युत देय	24.00	24.00
10- जलकर/जल प्रभार	2.50	2.50
11- लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	3.00	3.00
12- कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	2.00	2.00
13- टेलीफोन पर व्यय	1.00	1.00
15- गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	0.50	0.50
17- किराया , उपशुल्क और कर-स्वामित्व	4.00	4.00
18- प्रकाशन	1.00	1.00
42- अन्य व्यय	2.00	2.00
44- प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रांसगिक व्यय	5.00	5.00
47- कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	2.00	2.00
51- वर्दी व्यय	0.20	0.20
योग- 800-05	**60.20**	60.20
800- अन्य व्यय **11- प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण**		
39- औषधि तथा रसायन	3.50	3.50
योग- 800-11	**3.50**	3.50
योग 800- अन्य व्यय मतदेय भारित	**10817.44** **4.50**	10817.44 4.50
कुल योग मतदेय भारित	**14125.88** **9.50**	13938.38 9.50
महायोग - (राजस्व + पूंजी) मतदेय + भारित	**14135.38**	13947.88

(कुल रू0 एक अरब उन्तालीस करोड सैंतालिस लाख अट्ठासी हजार मात्र)

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(1) उपरोक्त् स्वीकृत धनराशि का उपभोग शासन द्वारा पूर्व निर्धारित नियमों/ शर्तों के अन्तर्गत् किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत धनराशि को निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार का व्यय का प्राधिकार प्राप्त नहीं होता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/ केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(3) जारी वित्तीय स्वीकृतियों के अन्तर्गत आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय। एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय। धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के रोकड प्रबन्धन (कैश मैनेजमेंट) पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है।

(4) सम्भावित व्यय की फेजिंग विभाग के कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर ली जाय और जहां तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष के लिए प्रति माह समान रूप से की जाय।

(5) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बंध में शासन द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।

(6) जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय करते समय भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) मानक मद 04 एवं 15 में आवंटित धनराशि का विनियमन इस प्रकार किया जाये, जिसमें पेट्रोल / यात्रा भत्त बीजकों का नियमित रूप से भुगतान सुनिश्चित हो सके।

(8) विज्ञापन, प्रकाशन एवं प्रचार-प्रसार के सम्बंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं सूचना विभाग के निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(9) वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता सम्बंधी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्स आफ फाइनेन्शियल प्रोपाइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

(10) विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित / वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बंध में शासनादेश संख्या- बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कडाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(11) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/ व्यय करते हुए समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

I/568459/2024

मार्च, 2024 में दिये गये निर्देशों व अन्य सुसंगत शासनादेशों/नियमों में दिये गये निर्देशों/ शर्तो का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनुदान संख्या-17, लेखाशीर्षक 2405- मछली पालन के अन्तर्गत 001- निदेशन तथा प्रशासन, 03- अधिष्ठान, 109- सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों को सहायता, 800- अन्य व्यय, 03- अनुसंधान सामान्य, 04- प्रादेशिक मत्स्य पालक विकास अभिकरण को सहायता, 05- राज्य स्तरीय एवं क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन, 11- प्रयोगशालाओं का सुदृढीकरण मदों के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या- 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

Digitally Signed by Sunil Kumar Verma
Date: 24-05-2024 16:57:18
Reason: Approved

भवदीय

(सुनील कुमार वर्मा)
विशेष सचिव।

संख्याः 17 / 2024 /809(1)/सत्रह-म-2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/ द्वितीय उ0प्र0 लखनऊ/ प्रयागराज।
3- मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ ।
4- सम्बंधित कोषाधिकारी उ0प्र0।
5- उप निदेशक मत्स्य (नियोजन) मत्स्य निदेशालय उ0प्र0।
6- वित्त एवं लेखाधिकारी मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
7- वित्त (व्यय-नियत्रंण) अनुभाग-1/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1/ नियोजन अनु0-3
8 - गार्ड फाइल।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।